उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ाधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
म्बर:–52/2018 प्रार्थना पत्र
ादेवी पत्नि गोपाल लाल अचारज, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीया

बनाम

नालाल पिता शंकरलाल अचारत जाति ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील भीलवाड़ा
श्वर पिता शंकरलाल अचारत जाति ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील भीलवाड़ा
रलाल पिता शंकरलाल अचारत जाति ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील भीलवाड़ा
रमल पिता बालू अचारत जाति ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील भीलवाड़ा
लाल पिता बालू अचारत जाति ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील भीलवाड़ा
देव पिता जगन्नाथ अचारत जाति ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील भीलवाडा
ू पिता मगना अचारत जाति ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील भीलवाड़ा
ान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:–22.7.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ ल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1517 रकवा 17 बिस्वा व बा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के । प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये ा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की त की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र रमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या ,2,3,4,5,6 के बाद तामिल प्राप्त हुये। मेल पंत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या ,2, 3, 4, ो कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण 7.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 1 के ई कार्यवांही नहीं चाहने के कारण कार्यवाही डॉप की गयी। विपक्षी संख्या 7 के उपस्थित नहीं ारण दिनांक 10.7.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक स सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व श्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल मय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं श्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर कि ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1517 रकबा 17 बिस्वा व 1513 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख ाक, सुवाणा को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की ़गी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को ा हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner